भाकृअनुप
ICAR

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006
बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

F.No.07(ii)04/CS/FPA/14/ 8210 Dated : 27.10.2015

संस्थान के प्रक्षेत्र के आंवला जनन द्रव्य एवं आंवला आधारित खेती प्रणाली के कुल 55 फल वृक्षों के फलों की खुली नीलामी (दिनांक : 03.11.2015 को 11.00 A.M. बजे) के विस्तृत नियम व शर्ते

1. संस्थान के प्रक्षेत्र के आंवला जनन द्रव्य एवं आंवला आधारित खेती प्रणाली के कुल 55 फल वृक्षों के फलों की नीलामी की जानी है ।
2. आंवला वृक्ष, जिनके फलों की नीलामी की जानी है, को प्रक्षेत्र के बगीचे में चिन्हित किया गया है । इस बाबत किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संस्थान के प्रभारी फार्म से सम्पर्क किया जा सकता है ।
3. नीलमी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रुप में रु.500/- (रुपये पांच सौ मात्र) जमा कराने होगें ।
4. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा ।
5. जिस व्यकित के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक तिहाई (33 प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा । शेष दो तिहाई राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी । तत्पश्चात ही सफल बोलीदाता को तुडाई कार्य प्रारंभ करने का अधिकार पत्र जारी किया जायेगा ।
6. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की सम्पूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गयी बयाना राशि एवं बोली की एक तिहाई राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी । साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जायेगा । किस स्थिति में द्वीतीय अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने या फलों के विक्रय हेतु पुन: नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा ।
7. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फलों की तुडाई के दौरान आंवला वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुचें । आंवला बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा । यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी ।
8. संस्थान से अधिकार पत्र मिलने के पश्चात आंवला फलों के तुडाई का कार्यादेश जारी होने के **दो माह** में पूर्ण कर लेना होगा । तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक आंवला फलों पर नही रहेगा । इस अवधि में आंवला फलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा ।
9. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा ।
10. फलों की तुडाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देखरेख में प्रात: 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा । रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में फलों की तुडाई नही होगी । प्रत्येक पौधे से प्राप्त फलों का वजन लेने के पश्चात ही ठेकेदार को फल दिये जायेगें । संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को फलों के तुडाई के लिये नही लगाना होगा । अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा । तोडे गये फलों को संस्थान के बाहर ले जाने के लिये अनुमति पत्र (गेट पास) लेना अनिवार्य है ।

11. जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ संस्थान के अनुसंधान कार्यो के लिये आंवला प्रखण्ड में से प्रत्येक किस्म के 500 ग्राम आंवला फल ठेकेदार द्वारा संस्थान को निशुल्क उपलब्ध कराने होंगे ।

12. फलों की तुडाई, भण्डारण रख-रखाव इनके परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा ।

13. किसी भी प्राकृतिक आपदा (पाला, वर्षा, आंधी-तुफान, पशुओं एवं पक्षीयों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी ।

14. तुडाई अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जानेवाले श्रमिकों को मजदुरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तर दायी नही होगा ।

15. सफल बोलीदाता की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) तुडाई का कार्य पुर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा । इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।

(एन.ए.पटेल)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. सूचना पट्ट - कार्यालय भवन, के.शु.बा.संस्थान, बीकनेर ।
2. सूचना पट्ट - प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, के.शु.बा.संस्थान, बीकानेर ।
3. फार्म मैनेजर - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. प्रभारी फार्म - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक)
6. प्रभारी, ए.के.एम.यु. के.शु.बा.संस्थान, बीकानेर - संस्थान की वैब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड करने हेतु ।